



Neutral Citation No. 2026:AHC:60237

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 2281 वर्ष 2026

हेमन बर्मन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

... विपक्षी गण

आवेदक के अधिवक्ता	:	गुंजन शर्मा
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	जी.ए

कोर्ट संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. सुश्री गुंजन शर्मा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के लिए श्री मनोज गौतम, विद्वान ए.जी.ए.को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक हेमन बर्मन की ओर से केस क्राइम नंबर 31 वर्ष 2024, धारा 318(4) बी.एन.एस., 2023 के तहत, पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम, जिला मुजफ्फरनगर में पंजीकृत मामले में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी और जांच के दौरान संजुमा नामक एक गवाह को लाभार्थी के खाते का खाताधारक बताया गया था और यह कहा गया है कि आवेदक ने ऋण स्वीकृत कराने के बहाने उसकी पासबुक और एटीएम ले लिया था और आवेदक ने साइबर धोखाधड़ी की है।
4. दूसरी ओर विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की पहचान सी.सी.टी.वी फुटेज के माध्यम से ए.टी.एम. बूथ से पैसे निकालने वाले व्यक्ति के रूप में की गई है।
5. जवाब में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि साक्ष्य की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र झारखंड राज्य से प्रस्तुत किया गया है और वह स्वीकार्य नहीं है आवेदक, जो 7.12.2024 से जेल में बंद है वह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले के बाद के इसी तरह की प्रकृति के छह मामले उसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई है और जांच के दौरान संजुमा नामक एक गवाह ने कहा कि आवेदक ने ऋण स्वीकृत कराने के बहाने उसकी पासबुक और एटीएम ले लिया था।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की पहचान सी.सी.टी.वी.फुटेज में ए.टी.एम. बूथ से पैसे निकालने के रूप में हुई थी, हालांकि, धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र झारखंड राज्य से प्राप्त हुआ बताया गया है।
8. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ।
अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपरोक्त केस अपराध में शामिल आवेदक-**हेमन बर्मन** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा :-
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सक
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक (i) मामला खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।
 - (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहकर पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

23 मार्च, 2026

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।